न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 08 / 2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1.	जन्नत बानो पत्नी अलादीन	1. निजामुदीन पुत्र सतार खॉ
2.	इसाक मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी बागवानों का बास, खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा	2. हारून पुत्र सतार खॉ 3. मो. रफीक पुत्र सतार खॉ 4. जहीर अब्बास पुत्र सतार खॉ 5. बिस्मिला बानो पत्नी सतार खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3.	जफार मोहम्मद पुत्र अलादीन	
4.	मृतक चांद मोहम्मद के कायम मुकाम्	
4 / 1	रूखसाना बानो पत्नी चांदमोहम्मद	6. तहसीलदार भूमि धारक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
4 / 2	अफसाना पुत्री चांदमोहम्मद	
4 / 3	सलीम मोहम्मद पुत्र चांदमोहम्मद	
4 / 4	सिमरन पुत्री चांदमोहम्मद	
5.	जुबैदा पत्नी जहुर मोहम्मद	
6.	समीर पुत्र जहुर मोहम्मद जातियान मुसलमान निवासी चौपासनी रोड़, पठान कोट जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— — — — —

उपस्थितिः— प्रार्थीगण की ओर से श्री मुजीबुर्रहमान टाक एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 6 सरकार की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::   दिनांक

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 794 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा आई हुई है, जो प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज हमीर खॉ पुत्र रमजान खॉ की खातेदारीसुदा व कब्जा का"त थी। प्रार्थीगण का वं"ाावली वृक्ष प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णितानुसार है। हमीर खॉ के इन्तकाल के प"चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा उनके वैद्य उतराधिकारी की जॉच किये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व रेकर्ड में हमीर खॉ की पत्नी नसीबा का विधि विरूद्ध इन्द्राज किया, जबकि अलादीन व सतार खॉ का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था। हमीर खॉ का फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 672 शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। नसीबा का नाम हमीर खॉ के इन्तकाल के बाद दर्ज होने का फायदा उठाकर व नसीबा को बहला फुसलाकर अलादीन व प्रार्थीगण की सहमति व स्वीकृति के बिना ही सतार खॉ ने वादग्रस्त कृषि भूमि का बख्शी"ानामा दिनांक 08.01.1979 को नसीबा से अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर पंजीबद्ध करवा दिया व उसके आधार पर म्यूटे"ान संख्या 1119 दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपने नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज करवा दिया। उक्त म्यूटे"ान संख्या 1119 भी अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है। अलादीन का इन्तकाल वर्ष 2014 में हो चुका है, सतार खॉ का इन्तकाल भी वर्ष 2008 में हो चुका है। अलादीन बी.एस.एफ. फौज में नौकरी करने से व बाहर निवास करने से उनको राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही होने का नाजायज फायदा उठाकर सतार खॉ द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का बख्शी"ानामा अपने नाम पंजीबद्ध करवाकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा दिया। जबकि प्रार्थीगण के पिता अलादीन का नाम भी हमीर खॉ के इन्तकाल के बाद भी बहैसियत खातेदार इन्द्राज किया जाना तय था तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर अलादीन का बिना किसी बाधा [illegible]पूर्वक कब्जा का"त चला आ रहा था। अलादीन के इन्तकाल के बाद [illegible] की वादग्रस्त कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

हक व अधिकार निहित हो चुके है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा का"त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। नसीबा का वादग्रस्त कृषि भूमि में मात्र 1/8 हक व हिस्सा ही निहित है, शेष 7/8 हिस्सा में 1/2 हिस्सा अलादीन को निहित हो चुका था लेकिन नसीबा ने अपने 1/8 हिस्से से अधिक भूमि की बख्शी"ा सतार खॉ को कर दी। जिसमें उसने अलादीन के हिस्से को भी सम्मिलित कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपना नाम विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में कब्जा का"त में दखल कर रहे है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि बैचान करने पर आमादा है। दिनांक 15.11.2019 को अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर अजनबी क्रेतागण को लेकर आये तथा प्रार्थीगण को कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि में तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नही है तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि उनके नाम इन्द्राज के आधार पर बैचान, हस्तान्तरण करके रहेंगे। प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 7/8 हिस्से में से 1/2 हिस्से के सम्बंध में खातेदारी घोषणा करवाने के, बंटवाड़ा करवाने के कानूनन अधिकारी है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा वाद माननीय न्यायालय में पे"ा कर दिया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि पु"तैनी है, जिसमें प्रार्थीगण का उपरोक्त वर्णित हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज के आधार पर बैचान करने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण का निहित हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा का"त है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनके निहित हिस्से से बेदखल करने व बैचान करने से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही किया जा सकता, इसलिए अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अन्त में निवेदन किया कि वाद लंबित के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

बैचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत, अन्तरण इत्यादि नही करे तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे का”त के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी के जरिये करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता ने मूल पत्रावली में वकालतनामा पे”ा किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध क्षेत्राधिकार से परे बिना म्याद के पे”ा किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारीसुदा व कब्जाका”तसुदा भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वं”ाावली वृक्ष में विरोधाभा”ा है व सही नही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है व न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा का”त रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में उतराधिकार के आधार पर कोई अधिकार नही रखते है। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में नसीबा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता सतार खॉ के पक्ष में 18.01.1979 को रजिस्टर्ड बख्शी”ानामा पंजीबद्ध करवाया। जिसको प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक चैलेन्ज नही किया। पंजीबद्ध बख्शी”ानामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है अपितु सिविल न्यायालय को है तथा जब तक सिविल न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध बख्शी”ानामा को निरस्त नही किया जाता तब तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न तो चलने योग्य है व न ही प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड बख्शी”ानामा में वर्णित वादग्रस्त जायदाद के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रस्तुत वाद के सम्बंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वादकारण पैदा नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में आव”यक पक्षकारो को [illegible] नही बनाया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.08 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में नही है अपितु अप्रार्थीगण के पक्ष में क्योकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने पिता सतार खॉ के जीवनकाल में उनके साथ साथ व उनके स्वर्गवास के प”चात् से लेकर आज दिन तक बिना किसी रोक टोक के पिछले 42 वर्षो से कब्जा का”त चला आ रहा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में हमीर खॉ के नाम दर्ज थी तथा हमीर खॉ के दो पुत्र अलादीन व सतार खॉ थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। हमीर खॉ की पत्नी नसीबा का भी स्वर्गवास हो चुका है। हमीर खॉ फौत होने पर फौतेदगी म्यूटे”ान अकेले उनकी पत्नी नसीबा के नाम से ही दर्ज किया गया, जबकि उनके दोनो पुत्रों अलादीन व सतार खॉ का भी नाम दर्ज होना चाहिए था। वादग्रस्त कृषि भूमि में अलादीन का 7/8 हिस्से में से 1/2 हिस्सा निहित था तथा अलादीन फौत होने पर उक्त हिस्सा प्रार्थीगण को निहित हुआ। नसीबा द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में सतार खॉ के पक्ष में दिनांक 08.01.1979 को पंजीबद्ध बख्शी”ानामा विधि विरूद्ध किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त हिस्से की भूमि के सम्बंध में वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, बंटवाड़े का पे”ा कर दिया है तथा प्रार्थीगण उक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदारी घोषित करवाने व बंटवाड़ा करवाने के कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि उनके नाम दर्ज होने के आधार पर बैचान करने पर आमादा है। अन्त में वादग्रस्त कृषि भूमि पु”तैनी होने से तथा उक्त निहित हक व हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा का”त होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु स्वयं के पक्ष में बताते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने [illegible]न किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

दूसरी और विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए तथा लिखित बहस पे"ा करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में हमीर खॉ पुत्र रमजान खॉ के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज थी तथा हमीर खॉ फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 672 द्वारा हमीर खॉ के स्थान पर उनकी पत्नी नसीबा का नाम दर्ज किया गया तथा नसीबा द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा द्वारा अपने पुत्र सतार अहमद को बख्शी"ा कर दी तथा बख्शी"ानामा के आधार पर दर्ज म्यूटे"ान संख्या 1119 द्वारा नसीबा के स्थान पर सतार अहमद का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया तथा सतार अहमद फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 4183 द्वारा सतार अहमद के स्थान पर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। तब से उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से ही खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण ही उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमि पर रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा दिनांक 08.01.1979 से अप्रार्थीगण के पिता/पति सतार अहमद का तथा उनके जीवनकाल में उनके साथ–साथ व उनके स्वर्गवास के प"चात् से लेकर आज दिन तक अप्रार्थीगण का ही कब्जा का"त है तथा अप्रार्थीगण द्वारा ही भौतिक व वास्तविक रूप से उक्त खसरा की भूमि को उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा का"त नही रहा तथा न ही प्रार्थीगण के पिता के नाम से उक्त भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज रही। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि अप्रार्थीगण उक्त खसरा की भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर 42 वर्षो से कब्जा का"त चला आ रहा है। नसीबा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता/पति सतार अहमद के पक्ष में उक्त भूमि के सम्बंध में करवाये गये बख्शी"ानामा में स्वीकार किया है कि ''बख्शी"ा की गयी आराजी पर मेरे अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा व हिस्सा नही है, बख्शी"ा की गयी आराजी का कब्जा तुमको (सतार अहमद) को सुपुर्द कर दिया है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

आपने (सतार अहमद) भी कब्जा प्राप्त कर लिया है। बख्शी"ा की गयी आराजी पर मेरा व मेरे अन्य वारिसान का कोई हक व उज्र नही है व न ही भविष्य में रहेगा। उक्त बख्शी"ा की गयी आराजी पर तुम व तुम्हारे वारिसान बहैसियत खातेदार भोगवेंगे व इच्छा अनुसार उपयोग में ला सकेगे व मुन्तकिल कर सकेंगे।'' बख्शी"ानामा में स्वीकृत उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नसीबा द्वारा उक्त भूमि का कब्जा वक्त बख्शी"ा अप्रार्थीगण के पिता/पति सत्तार अहमद को सुपुर्द कर दिया है तथा नसीबा के अलावा उक्त भूमि में उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रार्थीगण नसीबा के पुत्र अल्लादीन के वारिसान है तथा उक्त बख्शी"ानामा के अनुसार जब प्रार्थीगण के पिता/पति अल्लादीन का कोई हक हिस्सा नही है तो ऐसी स्थिति में कानूनन प्रार्थीगण का भी उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 672 हमीर खॉ पुत्र रमजान खॉ के वारिस प्रार्थीगण के पिता/पति अल्लादीन व सत्तार खॉ की सहमति से स्वीकृत किया गया। क्योकि हमीर खॉ द्वारा अपने दोनो पुत्रों अल्लादीन व सत्तार खॉ को उनके हिस्से की भूमि खसरा संख्या 788 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 793 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 792 रकबा 8 बिस्वा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों के नाम करवा दी। तथा अल्लादीन व सत्तार अहमद द्वारा उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि को दिनांक 21.06.1972 को क्रेता हरकचन्द पुत्र जुगराज कौम ओसवाल 1/2 हिस्सा, घीसाराम पुत्र भैराराम कौम सीरवी 1/2 हिस्सा बैचान कर दी। इस प्रकार हमीर खॉ द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों को उनके हिस्से की भूमि दे दी थी। तथा विवादग्रस्त भूमि में दोनो पुत्रों का कानूनन कोई हक व हिस्सा नही रहा व दोनो पुत्रों की सहमति से ही विवादग्रस्त भूमि हमीर खॉ द्वारा अपने जीवनकाल में अपने बंट में तथा उनके स्वर्गवास के प"चात् उनकी पत्नी नसीबा के नाम से दर्ज की गयी। इस प्रकार प्रार्थीगण का विवादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इस आधार पर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। नसीबा द्वारा विवादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा दिनांक 08.01.1979 द्वारा अपने पुत्र सतार अहमद को बख्शी"ा की, जिसे प्रार्थीगण के पिता व पति अल्लादीन द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी चैलेन्ज नही किया न ही अल्लादीन द्वारा अपने जीवनकाल में विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में हक की घोषणा हेतु कोई वाद पे"ा किया। यदि कानूनन अल्लादीन का विवादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार निहित होता तो उनके द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित कृषि भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार की घोषणा हेतु वाद अव"य पे"ा किया जाता। जिससे भी स्पष्ट है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में अल्लादीन का कानूनन कोई हक व अधिकार नही रहा। तथा न तो अल्लादीन द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को अपने जीवनकाल में चैलेन्ज किया व न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को आज दिन तक सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेन्ज किया, जबकि कानूनन रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को निरस्त नही किया जाता तब तक रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा के आधार पर व जरिये उतराधिकार के आधार पर अप्रार्थीगण को प्राप्त वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में माननीय न्यायालय को किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीगण को प्रदान करने का क्षैत्राधिकार नही है न ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मैन्टेबल है। अन्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के सम्बंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पे"ा किये :-

1. 2010 (2) आर.आर.टी. 1392 रामकरण बनाम श्रीमति गवरी
2. 2006-07 (Supp.) आर.आर.टी. 669 भंवरलाल बनाम गोपीराम
3. 2004 (1) आर.आर.टी. 587 कौ"ाल्या बनाम छोटू
4. 2011 (1) आर.आर.टी. 612 सफी मोहम्मद बनाम मोड़ू
5. 2003 (2) आर.आर.टी. 1282 बगदावतसिंह बनाम रामवीरसिंह
6. 2020 (1) आर.आर.टी. 508 नारायण बनाम लक्ष्मण
7. 2009 आर.आर.डी. पेज 750 [illegible] कौर बनाम भगवानदास
8. 1988 आर.आर.डी. 610 प्र[illegible] बनाम श्रीमति रतनी
9. 2020 आर.बी.जे. 666 [illegible] बनाम बनवारीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

10.2014 (2) आर.आर.टी. 1266 सुमेरसिंह बनाम केसर कंवर

उभय पक्षों के तर्को व तथ्यों व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया गया, पत्रावली व सम्बंधित विधि व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर निष्कर्ष देना है :—

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन एवं
3. अपूर्णनीय क्षति

प्रथम दृश्टया मामला :— प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आ"ाय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से स्वयं बेदखल करे एवं न ही किसी एजेन्ट, नौकर व गुण्डो के जरिये बेदखल करे।

जिसके सम्बंध में प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह लिया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में हमीर खॉ के नाम दर्ज थी तथा हमीर खॉ के दो पुत्र अलादीन व सतार खॉ थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। हमीर खॉ की पत्नी नसीबा का भी स्वर्गवास हो चुका है। हमीर खॉ फौत होने पर फौतेदगी म्यूटे"ान अकेले उनकी पत्नी नसीबा के नाम से ही दर्ज किया गया, जबकि उनके दोनो पुत्रों अलादीन व सतार खॉ का भी नाम दर्ज होना चाहिए था। वादग्रस्त कृषि भूमि में अलादीन का 7/8 हिस्से में से 1/2 हिस्सा निहित था तथा अलादीन फौत होने पर उक्त हिस्सा प्रार्थीगण को निहित हुआ। नसीबा द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में सतार खॉ के पक्ष में दिनांक 08.01.1979 को पंजीबद्ध बख्शी"ानामा विधि विरूद्ध किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त हिस्से की भूमि के सम्बंध में वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, बंटवाड़े का [illegible] दिया है तथा प्रार्थीगण उक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदारी घोषित करवाने व बंटवाड़ा करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि उनके नाम दर्ज होने के आधार पर बैचान करने पर आमादा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पु"तैनी होने से तथा उक्त निहित हक व हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा का"त होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु स्वयं के पक्ष में होना बताया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा मुख्य आधार यह लिया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में हमीर खॉ पुत्र रमजान खॉ के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज थी तथा हमीर खॉ फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 672 द्वारा हमीर खॉ के स्थान पर उनकी पत्नी नसीबा का नाम दर्ज किया गया तथा नसीबा द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा द्वारा अपने पुत्र सतार अहमद को बख्शी"ा कर दी तथा बख्शी"ानामा के आधार पर दर्ज म्यूटे"ान संख्या 1119 द्वारा नसीबा के स्थान पर सतार अहमद का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया तथा सतार अहमद फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 4183 द्वारा सतार अहमद के स्थान पर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। तब से उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से ही खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण ही उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमि पर रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा दिनांक 08.01.1979 से अप्रार्थीगण के पिता/पति सतार अहमद का तथा उनके जीवनकाल में उनके साथ–साथ व उनके स्वर्गवास के प"चात् से लेकर आज दिन तक अप्रार्थीगण का ही कब्जा का"त है तथा अप्रार्थीगण द्वारा ही भौतिक व वास्तविक रूप से उक्त खसरा की भूमि को उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा का"त नही रहा तथा न ही प्रार्थीगण के पिता के नाम से उक्त भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज रही। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि अप्रार्थीगण उक्त खसरा की भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर 42 वर्षो से कब्जा का"त चला आ रहा है। नसीबा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता/पति सतार अहमद के पक्ष में उक्त भूमि के सम्बंध में करवाये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

बख्शी"ानामा में स्वीकार किया है कि ''बख्शी"ा की गयी आराजी पर मेरे अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नही है, बख्शी"ा की गयी आराजी का कब्जा तुमको (सतार अहमद) को सुपुर्द कर दिया है व आपने (सतार अहमद) भी कब्जा प्राप्त कर लिया है। बख्शी"ा की गयी आराजी पर मेरा व मेरे अन्य वारिसान का कोई हक व उज्र नही है व न ही भविष्य में रहेगा। उक्त बख्शी"ा की गयी आराजी पर तुम व तुम्हारे वारिसान बहैसियत खातेदार भोगवेंगे व इच्छा अनुसार उपयोग में ला सकेगे व मुन्तकिल कर सकेंगे।'' बख्शी"ानामा में स्वीकृत उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नसीबा द्वारा उक्त भूमि का कब्जा वक्त बख्शी"ा अप्रार्थीगण के पिता/पति सत्तार अहमद को सुपुर्द कर दिया है तथा नसीबा के अलावा उक्त भूमि में उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रार्थीगण नसीबा के पुत्र अल्लादीन के वारिसान है तथा उक्त बख्शी"ानामा के अनुसार जब प्रार्थीगण के पिता/पति अल्लादीन का कोई हक हिस्सा नही है तो ऐसी स्थिति में कानूनन प्रार्थीगण का भी उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 672 हमीर खॉ पुत्र रमजान खॉ के वारिस प्रार्थीगण के पिता/पति अल्लादीन व सत्तार खॉ की सहमति से स्वीकृत किया गया। क्योकि हमीर खॉ द्वारा अपने दोनो पुत्रों अल्लादीन व सत्तार खॉ को उनके हिस्से की भूमि खसरा संख्या 788 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 793 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 792 रकबा 8 बिस्वा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों के नाम करवा दी। तथा अल्लादीन व सत्तार अहमद द्वारा उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि को दिनांक 21.06.1972 को क्रेता हरकचन्द पुत्र जुगराज कौम ओसवाल 1/2 हिस्सा, घीसाराम पुत्र भैराराम कौम सीरवी 1/2 हिस्सा बैचान कर दी। इस प्रकार हमीर खॉ द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों को उनके हिस्से की भूमि दे दी थी। तथा विवादग्रस्त भूमि में दोनो पुत्रों का कानूनन कोई हक व हिस्सा नही रहा व दोनो पुत्रों की सहमति से ही विवादग्रस्त भूमि हमीर खॉ द्वारा अपने जीवनकाल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

अपने बंट में तथा उनके स्वर्गवास के प"चात् उनकी पत्नी नसीबा के नाम से दर्ज की गयी। इस प्रकार कानूनन भी प्रार्थीगण का विवादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इस आधार पर भी प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। नसीबा द्वारा विवादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा दिनांक 08.01.1979 द्वारा अपने पुत्र सतार अहमद को बख्शी"ा की, जिसे प्रार्थीगण के पिता व पति अल्लादीन द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी चैलेन्ज नही किया न ही अल्लादीन द्वारा अपने जीवनकाल में विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में हक की घोषणा हेतु कोई वाद पे"ा किया। यदि कानूनन अल्लादीन का विवादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार निहित होता तो उनके द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित कृषि भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार की घोषणा हेतु वाद अव"य पे"ा किया जाता। जिससे भी स्पष्ट है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में अल्लादीन का कानूनन कोई हक व अधिकार नही रहा। तथा न तो अल्लादीन द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को अपने जीवनकाल में चैलेन्ज किया व न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को आज दिन तक सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेन्ज किया, जबकि कानूनन रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा को निरस्त नही किया जाता तब तक रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा के आधार पर व जरिये उतराधिकार के आधार पर अप्रार्थीगण को प्राप्त वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में माननीय न्यायालय को किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीगण को प्रदान करने का क्षैत्राधिकार नही है न ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मैन्टेबल है।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत कथनों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है, इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या [illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। कानूनन रेकर्डेड [illegible] के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

जारी नही की जा सकती। वादग्रस्त कृषि भूमि कें सम्बंध में नसीबा द्वारा सतार खॉ के पक्ष में दिनांक 08.01.1979 को पंजीबद्ध बख्शी"ानामा निष्पादित किया, जिसके द्वारा नसीबा ने वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 08.01.1979 को ही अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता सतार खॉ को सुपुर्द कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर सतार खॉ का व सतार खॉ के स्वर्गवास के प"चात् अप्रार्थीगण का कब्जा का"त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा का"त नही है, इसलिए बिना कब्जा के प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा फोर्म नम्बर 3 के साथ खसरा संख्या 788, 793 व 792 की मिसल बंदोबस्त व म्यूटे"ान संख्या 502 बहस के दौरान पे"ा किये। जिनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय अलादीन व सतार खॉ के नाम से दर्ज थी। जिसे उनके द्वारा दिनांक 21.06.1972 को क्रेतागण हरकचन्द व घीसाराम को बैचान कर दी। उपरोक्त दस्तावेज से यह भी प्रकट होता है कि हमीर खॉ ने अपने जीवनकाल में अपने उक्त दोनो पुत्रों को उपरोक्त खसरान की भूमि दे दी तथा अपने बंट में वादग्रस्त कृषि भूमि रखी व हमीर खॉ फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि का फौतेदगी म्यूटे"ान भी हमीर खॉ के दोनो पुत्रों अलादीन व सतार खॉ की सहमति से स्वीकृत व दर्ज किया गया। अलादीन द्वारा अपने जीवनकाल में हमीर खॉ का फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 672 को चैलेन्ज नही किया व न ही उक्त पंजीबद्ध बख्शी"ानामा को चैलेन्ज किया। यदि अलादीन का वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार होता तो ऐसी स्थिति में अलादीन द्वारा अव"य ही अपने जीवनकाल में उक्त फौतेदगी म्यूटे"ान को चैलेन्ज किया जाता व उक्त पंजीबद्ध बख्शी"ानामा को भी अलादीन द्वारा चैलेन्ज किया जाता। परन्तु अलादीन द्वारा ऐसा नही किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में अलादीन का कोई हक व हिस्सा नही है, जब वादग्रस्त कृषि भूमि में अलादीन का कोई हक व हिस्सा नही है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त कृषि भूमि कानूनन कोई हक व हिस्सा नही बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

अलादीन व प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक नसीबा द्वारा सतार खॉ के पक्ष में पंजीबद्ध करवाये गये बख्शी"ानामा को सिविल न्यायालय में चैलेन्ज नही किया है तथा जब तक सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पंजीबद्ध करवाया बख्शी"ानामा निरस्त नही किया जाता तब तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भी कानूनन मेंटेबल नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जो प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है उसमें भी राजस्व मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि ''रेकर्डेड खातेदार को उसका हिस्सा बैचान किये जाने से नही रोका जा सकता। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। बिना कब्जा के प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड बख्शी"ानामा निरस्त करने का क्षैत्राधिकार नही है। जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज में वर्णित जायदाद के सम्बंध में वाद राजस्व न्यायालय में मेंटेबल नही है। किसी भी दस्तावेज को शून्य, शून्यकरणीय, अप्रभावी सिविल न्यायालय द्वारा ही घोषित किया जा सकता है न की राजस्व न्यायालय द्वारा।'' इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति :– उक्त दोनो बिन्दुओं का विवेचन परस्पर सम्बंधित होने के कारण समय व सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। विवादग्रस्त कृषि भूमि पर वक्त बख्शी"ानामा दिनांक 08.01.1979 से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता/पति सतार खॉ का व अप्रार्थीगण का कब्जा का"त चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थीगण को असुविधा [illegible] क्योंकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर का"त कब्जे से वंचित [illegible] जायेंगे जिससे अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही किया जा सकता। इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते है।

—:: आदे”ा ::—

अतः प्रार्थीगण जन्नत बानो वगैराह का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान का”तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested